A

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या : 105/2020

मोहनलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी वार्ड नम्बर 6, पाथरोली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
—— अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू।
—— रेस्पोडेन्ट्

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार सैनी, अभिभाषक – अपीलान्ट् की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अभिभाषक– अपीलान्ट् की ओर से
3. श्रीमती अनामिका, विभागीय पैरोकार– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— — —

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.10.2019 द्वारा अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनू बाबत निरस्त करने उचित मूल्य दुकानदार लाईसेन्स

— — —

## आदेश

दिनांक 22.10.2020

माननीय न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के यहां दायर अपील याचिका संख्या 33/19 उनवानी मोहनलाल बनाम जिला कलक्टर मे निर्णय दिनांक 04.03.2020 पारित किये जाने पर अपील पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। उक्त अपील याचिका सं0 33/19 मे निर्णय दिनांक 04.03.2020 मे आदेश दिये गये है कि प्रकरण मे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2019 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को पुनः प्रेषित किया है कि विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। संक्षेप मे विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसील क्षेत्र बुहाना के वितरण केन्द्र पांथरोली हेतु अपीलार्थी श्री मोहनलाल पुत्र ओमप्रकाश का चयन दिनांक 11.07.18 को होने के उपरान्त विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुरूप आर0के0सी0एल0/अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह का कम्प्यूटर आधारभूत प्रशिक्षण नही होने के कारण खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश कमांक एफ 17( 1 )खा0वि0न्याय/2010 जयपुर दिनांक 28.09.2017 के अनुशरण मे उक्त अर्हता पूर्ण करने हेतु 8 माह का समय दिनांक 11.03.2019 तक दिया गया। संबंधित द्वारा नियत तिथि 11.03.2019 तक उक्त अर्हता अर्जित नही करने के कारण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2019 द्वारा अपीलार्थी का चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को दिनांक 06.08.2018 को ग्राम पांथरोली, तहसील बुहाना के लिए राशन डीलर के लिए आवेदन किया था। अपीलान्ट का चयन दिनांक 31.07.2018 को किया जाकर अपीलान्ट को अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा विभागीय दिशा–निर्देशों

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

के अनुरूप आर0के0सी0एल0/अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह का कम्प्यूटर आधारभूत प्रशिक्षण नही होने के कारण खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17( 1 )खा0वि0न्याय/2010 जयपुर दिनांक 28.09.2017 के अनुशरण मे उक्त अर्हता पूर्ण करने हेतु 8 माह का समय दिनांक 31.03.2019 तक दिया गया था अर्थात अपीलान्ट को अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू के समक्ष दिनांक 31.03.2019 तक आर0के0सी0एल0/अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह का कम्प्यूटर आधारभूत प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र पेश करना था। प्रदेश मे गुर्जर आन्दोलन, लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के कारण उक्त परीक्षा देरी से दिनांक 30.06.2019 को हुई। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 18.07.2019 को जारी होने के दिवस ही अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत को परिणाम का प्रमाण पत्र पेश कर दिया। परीक्षा देरी से होने के कारण अपीलान्ट उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि मे पेश नही कर सका। इसमे अपीलान्ट की कोई गलती नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 09.10.2019 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि खाद्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक एफ 17(1) खा.वि./न्याय/2010 जयपुर दिनांक 26.09.2017 के तहत अपीलान्ट को उचित मूल्य दुकानदार के रूप में सशर्त प्राधिकृत किया गया था। परन्तु RKCL प्रमाण पत्र निर्धारत अवधि 8 माह में पेश नहीं करने पर अपीलान्ट की नियुक्ति निरस्त की गई है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। रिकार्ड अदालत मातहत का भी अवलोकन किया गया। प्रदेश मे गुर्जर आन्दोलन, लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के कारण परीक्षा देरी से दिनांक 30.06.2019 को हुई। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 18.07.2019 को जारी होने के दिवस ही अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत को परिणाम का प्रमाण पत्र पेश कर दिया था। परीक्षा देरी से होने के कारण अपीलान्ट उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि मे पेश नही कर सका। इसमे अपीलान्ट की कोई गलती नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट की नियुक्ति ग्राम पाथरोली, तहसील बुहाना के राशन डीलर के पद पर की जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/10

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं